



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबासईट- [www.snpv.ac.in](http://www.snpv.ac.in)

क्रमांक. 2-3-3-4-8 / भूगोल / 2021 / 481

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

## // अधिसूचना //


—00—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूगोल अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. श्रीमती अल्का मनोहर छड़ीमली, सहा. प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा. जिला-रायगढ़  
2. डॉ. सी.पी.नंद, सहा.प्राध्यापक, शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महा. जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती आभा बेक, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. बलौदा जिला- जाँजगीर चाँपा  
2. सुश्री जीनत पैकरा, सहा.प्राध्यापक, शास. नवीन महा. हसौद जिला- जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (पाँच) 1. श्रीमती सोफिया अम्ब्रेला, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा. जिला-रायगढ़  
2. श्रीमती प्रमिला साहू, सहा.प्राध्यापक, शास. संत गहिरा गुरु रामेश्वर महा. लैलूंगा जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. श्रीमती अल्का मनोहर छड़ीमली, को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है। अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

  
(कृष्ण कुमार चंद्राकर)  
कुलसचिव

पृ.क्र. 2-3-3-4-8 / भूगोल / 2021 / 482  
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 26.07.2021

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ।
07. संबंधित सदस्य ..... को सूचनार्थ।

  
उप-कुलसचिव (अकादमी)